

वर्ष : 2021

खण्ड – XIII

राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xiii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से असंबंधित हैं।